अपना धन पाओ जन धन बचाओ

देश के विकास को मिली एक नई दिशा

आज ही अपने एलपीजी कनेक्शन को डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र फ़ॉर एलपीजी (DBTL) के लिये पंजीकृत करें और सब्सिडी की राशि सीधे अपने बैंक अकाउंट में पायें. यह योजना 1 जनवरी 2015 से संपूर्ण भारत में लागू हो जायेगी.

इस योजना का लाभ लेने के लिये निम्न विकल्पों में से एक को चुनें:

- अगर आपके पास आधार है तो आपको अपना आधार नम्बर अपने बैंक एवं एलपीजी वितरक को देना है.
- अगर आपके पास आधार नहीं है तब आप अपने बैंक का विवरण अपने एलपीजी वितरक को दे सकते हैं अथवा अपना 17 अंकों वाला एलपीजी पहचान क्रमांक** अपने बैंक** को दे सकते हैं.
- अगर आपके पास बैंक खाता या आधार नहीं है तो अपने एलपीजी वितरक के निकटतम् केन्द्र* पर बैंक खाता खोलने/आधार पंजीकरण के लिये जायें.

अगर आप पहले DBTL योजना से अपने बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी प्राप्त कर चुके हैं तो आपको कुछ नहीं करना है.

- उक्त प्रकार से पंजीकरण न होने पर उपभोक्ता योजना लागू होने की तिथि से 3 महीनों की अवधि तक रियायती दर पर सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे.
- इस अवधि के बाद सिलेंडर बाज़ार मूल्य पर मिलेंगे और उपभोक्ता को सब्सिडी तभी मिल पायेगी जब वह अगले 3 महीनों के भीतर **'पहल'** योजना में पंजीकरण करा लेगा.
- **'पहल'** योजना में अपने पंजीकृत होने की स्थिति को जानने के लिये www.MyLPG.in पर जाकर अपनी गैस कम्पनी के नाम (Indane/Bharat Gas/HP Gas) पर क्लिक करें.

*विस्तृत जानकारी या मार्गदर्शन के लिये अपने एलपीजी वितरक के ग्राहक सेवा काउंटर पर सम्पर्क करें या कॉल करें टोल फ़्री नम्बर 1800-2333-555 पर.

**आप 17 अंकों वाला एलपीजी पहचान क्रमांक तथा बैंकों की सूची आपके एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर व www.MyLPG.in पर जान सकते हैं.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते